

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद जिला - गरियाबंद (छ0ग0)

7706-241350

Email dfogariaband@gmail.com

7706-241407

गरियाबंद, दिनांक 24/11/2020

क्रमांक/मा.चि./भू-प्रबंध/1260

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त रायपुर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Bharat Net Phase-II Gariaband-Division "BharatNet Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs Block through opticfibre cable laying of approximately 32,466 KM. the Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area - 19.099 ha. - regarding.
(Reg. No. FP/CG/OFC/43120/2019)

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक/तक.शा./विविध/3309 रायपुर, दिनांक 01/06/2020

—000—

विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्य भारत नेट फेज-II परियोजना रकबा-19.099 हे. वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में 05 बिन्दुओं की कमियाँ पाई गई हैं, जिसकी पूर्ति कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कमियाँ	पूर्ति
1	Form A Part -II के कालम नं. -15 भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है परन्तु ऑन लाईन के कॉलम में Yes लिखा गया है जिसे No किया जाये।	मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रायपुर वृत्त रायपुर से संबंधित है।
2	वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र ऑन लाईन अपलोड नहीं किया गया है जिसे अपलोड करें	वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय से ऑन लाईन अपलोड कर लिया गया है। अपलोड की प्रति संलग्न है।
3.	Form A Part -II के कालम नं. -16 कामल-16 में पार्ट-3 अपलोड नहीं किया गया है।	मुख्य वन संरक्षक कार्यालय रायपुर वृत्त रायपुर से संबंधित है।
4	प्रपत्र-3 में वन मंडलाधिकारी की निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।	प्रपत्र-3 में वन मंडलाधिकारी की निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव में पृष्ठ क्रमांक 75 से 101 में संलग्न है।
5	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है, उक्त बाबत स्थिति स्पष्ट करें। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12.02.2010 का उल्लेख आवरण पत्र में है, जिसकी छायाप्रति भेजी जावे।	कलेक्टर जिला गरियाबंद के द्वारा प्रदाय अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार पत्र धारक नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद

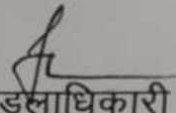
गरियाबंद, दिनांक 24/11/2020

पृ.क्रमांक/मा.चि./भू-प्रबंध/ 1261

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. नवा रायपुर को उनके पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-833/982 दिनांक 26.05.2020 के संदर्भ में।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

“ वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है। ”


वनमण्डलाधिकारी
 गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद